कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 4460 /14–1(24596/2017),आगरा, दिनांक, 26 ,मार्च, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय :– जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 91 अलीगढ़ से कानपुर के किमी0 229.00 से 289.00 (कल्याणपुर से नवीगंज) तक मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण के निर्माण में प्रभावित होने वाले 97.896 हे0 सरंक्षित वन का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित. 11377 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्वन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पं0 8B/UP/06/13/2018/FC/184 dt. 28-02-2018, आपके कार्यालय का पत्रांक पं0 2577/मैनपुरी/24596/2017 दि0 06–03–2018 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी का पत्रांक 2376/14–1 दिनांक 24.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है :–

Obser. no	Observation	Reply
1	2	3
1	Signature of person making application on behalf of the User Agency has not been authenticated. (Part I A-3 xvii)	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Part I A-3 xvii को संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है ।
2	Three proposals FP/UP/ROAD/ 24596 /201, FP/UP/ ROAD/23288/2016 and FP/UP/ROAD/22374/2016 appears to be part of widening of National Highway 91 and total extent of diversion is more than 100 ha which requires site inspection from Regional Office, MoEF&CC as per guidelines of FCA 1980.	मुख्य वन संरक्षक, MoEF&CC, लखनऊ के साथ संयुक्त निरीक्षण दिनॉक 20 मार्च 2018 को कर लिया गया है ।
3	As per GIS DSS analysis of proposed forest land for diversion and propose compensatory afforestation, following issues need rectification:	
	a- Some portion of propose forest land diversion overlaps, with existing road.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित Kml & DGPS Map ऑनलाइन अपलोड कर संलग्न कर दिया है ।
	b- Overlay of kml files of proposed Compensatory afforestation shows presence of structures. This issue needs rectification and explanation regarding suitability of site.	प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, फिरोजाबाद द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित भूमि का स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 16–3–2018 को किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र के अन्दर कोई भी स्थायी संरचना नहीं है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है, क्षतिपूरक वनीकरण एवं उसके प्रबन्धन हेतु सर्वथा उपयुक्त है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड कर संलग्न कर दी गयी है।

4	Benefit Cost analysis of the proposal is not as per latest guidelines of MoEF&CC. This needs revision.	प्रयोक्ता एजेन्सी ने पत्र में दिये गये निर्देशानुसार Cost Benefit analysis को संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड व प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
5	The requisite documents for FRA 2006 have not been uploaded with the proposal. It has been mentioned that the same has been applied for.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा FRA 2006 ऑनलाइन पार्ट–I में अपलोड कर दिया गया है ।
6	Forest Gazette notification uploaded with the proposal is without date of notification and notification on.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पत्र में दिये गये निर्देशानुसार Forest Gazette notification ऑनलाइन पार्ट–I में अपलोड कर दिया गया है ।
7	The land schedule showing chainage wise area calculation does not provide for balance of PF available on both side and reasons for varying width requirement.	प्रयोक्ता एजेन्सी ने शपथ पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया है जो कि RO MoEF&CC द्वारा त्रुटियों के निवारण हेतु मान्य है ।
8	NPV calculation of forest land proposed for diversion is based on incorrect rates.	दिये गये निर्देशानुसार एन0पी0वी0 को संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है ।
9	The site inspection report of the concerned Conservator of Forest is required on prescribed format.	वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर दी गई है।
10	Enumeration list with hard copy and online enumeration list shows variance of 4 trees or poles. This issue needs rectification as per ground condition.	दिये गये निर्देशानुसार छूटे हुये 04 पेड़ों को ऑनलाइन प्रविष्टि कर दी गई है ।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी से प्राप्त प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

25.2.18

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक / समदिनांकित ।

1– प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 47 एवं 48 ड्रीम सिटी कालोनी (बाल जीवन घुट्टी के सामने) जी0टी0 रोड सारसौल, अलीगढ़–202001 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।